"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015—कार्तिक 8, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ-09-09/2015/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 कहलायेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (13) में यथा उल्लिखित प्राधिकारी;

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(घ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी चतुर्थ श्रेणी सेवा;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

5. **आरक्षण.**—

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

6. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

8. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 देखिये)

स.क्र.	कर्तव्य पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानान्तरण के माध्यम से भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिए		परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवाएं	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये क्रमशः चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
						आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	100% पदोन्नति के माध्यम से	-	-	-	5 वर्ष	भृत्य/माली/ पंप ऑपरेटर/ प्लंबर/फर्राश/ स्वीपर/ कारपेन्टर	अकादमी के संचालक द्वारा समय-समय पर समिति गठित की जायेगी	-
2.	जमादार	01	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-
3.	सहायक रसोईया	02	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1800	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी प्रतिष्ठित संस्था/ सार्वजनिक उपक्रम में खाना बनाने का कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	2 वर्ष	-	-	-तदैव-	संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	रूम अटेंडेंट	04	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी शासकीय कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में रूम अटेंडेंट या भृत्य के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	2 वर्ष	-	-	अकादमी के संचालक द्वारा समय-समय पर समिति गठित की जायेगी	संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी
5.	भृत्य	04	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी शासकीय कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में भृत्य के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी.)	-तदैव-	-	-	-तदैव-	-तदैव-
6.	माली	02	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माली का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये अथवा किसी शासकीय कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये. 3 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	-तदैव-	-	-	-तदैव-	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	कारपेंटर	01	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये तथा कारपेंटर ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना चाहिये.	2 वर्ष	-	-	अकादमी के संचालक द्वारा समय-समय पर समिति गठित की जायेगी	संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी
8.	पंप ऑपरेटर	01	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये तथा फीटर ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना चाहिये.	-तदैव-	-	-	-तदैव-	-तदैव-
9.	प्लंबर	01	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये तथा प्लंबर ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना चाहिये.	-तदैव-	-	-	-तदैव-	-तदैव-
10.	फर्राश/स्वीपर	03	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी शासकीय कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये. 3 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	-तदैव-	-	-	-तदैव-	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	भृत्य (कलेक्टर दर)	05	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी शासकीय कार्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये. 3 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	-	-	-	अकादमी के संचालक द्वारा समय-समय पर समिति गठित की जायेगी	संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी
12.	चौकीदार (कलेक्टर दर)	04	-तदैव-	कलेक्टर दर	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिये. (किसी शासकीय कार्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये. 3 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी)	-	-	-	-तदैव-	-तदैव-

New Raipur, the 3rd October 2015

No. F-09-09/2015/1/5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Academy of Administration Class-IV Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Academy of Administration Class-IV Services Recruitment Rules, 2015.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,—
   (a) "Appointing Authority" in respect of service means the authority as specified in column (13) of Schedule;

   (b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (d) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (e) "Schedule" means the Schedule appended these rules;

   (f) "Schedule Castes" means the Schedule Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (g) "Schedule Tribes" means the Schedule Tribes as specified in relation to this State under Artice 342 of the Constitution of India;

   (h) "Service" means the Chhattisgarh Academy of Administration Class-IV Services;

   (i) "State" means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification and scale of pay etc.—**The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules :

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Reservation.—**

(1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

6. **Relaxation.—**Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect the reservaion and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

8. **Repeal.—**All rules, corresponding to these rules, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Special Secretary.

SCHEDULE
(See Rule 2)

Sr. No.	Name of the duty post	Number of duty posts	Classi-fication	Pay Scale	Percentage of number of duty posts to be filled in throuh Direct Recruitment or Promotion or Transfer	Only for Direct Recruitment		Period of Probation or trial if any	Qualifying Services in case of Promo-tions	Posts from which promotion is to be made	Selection Committee/ Departmental Promotion Committee for Direct Recruitment and Promotion respectively	Appointing Authority
						Age Limit	Prescribed educational qualification					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Daftari	01	Class-IV	4750-7440 Grade Pay 1400	100% through promotions	-	-	-	5 years	Peon/Mali/ Pump Operator/ Plumber/Farras/ Sweeper/ Carpenter	Director of Academy shall constitute the committee from time to time	-
2.	Jamadar	01	-do-	4750-7440 Grade Pay 1400	-do-	-	-	-	-do-	-do-	-do-	-
3.	Assistant Cook	02	-do-	4750-7440 Grade Pay 1800	100% through direct recruitment	18-30 years (35 years for bonafide resident of State of Chhattisgarh)	Should have passed Class VIII from any recognized Edu-cational Board. (Preference will be given to those who have experience of Cooking in any reputed Institute/ Public Sector Enterprise).	2 years	-	-	-do-	Director, Chhattisgarh Academy of Adminis-tration

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Room Attendant	04	Class-IV	4750-7440 Grade Pay 1400	100% through direct recruitment	18-30 years (35 years for bonafide resident of State of Chhattisgarh)	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board. (Preference will be given to those who have experience in any Government Office/Public Sector Enterprise as Room Attendent or Peon).	2 years	-	-	Director of Academy shall constitute the committee from time to time	Director, Chhattisgarh Academy of Administration
5.	Peon	04	-do-	4750-7440 Grade Pay 1300	-do-	-do-	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board. (Preference will be given to those who have experience in any Government Office/Public Sector Enterprise as Peon).	-do-	-	-	-do-	-do-
6.	Mali	02	-do-	4750-7440 Grade Pay 1300	-do-	-do-	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board. (Should have received training of Mali from any recognized Institution or should have experience of minimum 3 years in any Government Office/Public Sector Enterprise. Preference	-do-	-	-	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							will be given to those who have experience of more than 3 years).					
7.	Carpenter	01	Class-IV	4750-7440 Grade Pay 1300	100% through direct recruitment	18-30 years (35 years for bonafide resident of State of Chhattisgarh)	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board and should have passed ITI in Carpenter Trade.	2 years	-	-	Director of Academy shall constitute the committee from time to time	Director, Chhattisgarh Academy of Administration
8.	Pump Operator	01	-do-	4750-7440 Grade Pay 1300	-do-	-do-	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board and should have passed ITI in Fitter Trade.	-do-	-	-	-do-	-do-
9.	Plumber	01	-do-	4750-7440 Grade Pay 1300	-do-	-do-	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board and should have passed ITI in Plumber Trade.	-do-	-	-	-do-	-do-
10.	Farras/ Sweeper	03	-do-	4750-7440 Grade Pay 1300	-do-	-do-	Should have passed ClassVIII from any recognized Educational Board. (Should have experience of minimum 3 years in any Government Office/ Public Sector Enterprise. Preference will be given	-do-	-	-	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							to those who have experience of more than 3 years).					
11.	Peon (Collector Rate)	05	Class-IV	Collector Rate	100% through direct recruitment	18-30 years (35 years for bonafide resident of State of Chhattisgarh)	Should have passed Class VIII from any recognized Educational Board. (Should have experience of minimum 3 years in any Government Office/Public Sector Enterprise. Preference will be given to those who have experience of more than 3 years).	-	-	-	Director of Academy shall constitute the committee from time to time	Director, Chhattisgarh Academy of Administration
12.	Chowkidaar (Collector Rate)	04	-do-	Collector Rate	-do-	-do-	Should have passed Class VIII from any recognized Educational Board. (Should have experience of minimum 3 years in any Government Office/Public Sector Enterprise. Preference will be given to those who have experience of more than 3 years).	-	-	-	-do-	-do-

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 7-15/2015/32.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 13-07-2015 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के 4.43 अन्य अधिभोग में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	अन्य उपयोग गतिविधियों पर नियमन	विकास योजना में अंग्रीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4.43 अन्य अधिभोग (छात्रावास)	एफ. ए. आर.- 1.00 मार्ग चौड़ाई - 18 मीटर भवन ऊंचाई - 12 मीटर	1.75 12 मीटर या उससे अधिक छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में सामंजस्य रखने हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-3-2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन कर 13 सदस्यों को नामांकित किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 में निहित प्रावधानानुसार समिति के शेष एक सदस्य हेतु श्री रूस्तम भाटी, देवेन्द्र नगर, पारस नगर मस्जिद के सामने, वार्ड क्रमांक 35 मकान नं. 268 रायपुर जिला रायपुर छ.ग. को नामांकित करता है.

3. श्री रूस्तम भाटी का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	डुड़िया प.ह.नं. 5/18	0.51	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही.	जोगनाला जलाशय से ग्राम डुड़िया.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	भाठागांव (आर) प.ह.नं. 33	2.48	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही.	भाठागांव उद्वहन सिंचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खुंटेरी प.ह.नं. 25	0.36	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही.	खुंटेरी स्टॉपडेम निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	जरहाडीह प.ह.नं. 15	2.877	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	साखेन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	बोदा प.ह.नं. 15	7.774	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	साखेन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./17/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	तरागी प.ह.नं. 15	1.714	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	साखेन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./18/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	चिपरकाया प.ह.नं. 07	5.958	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुईडांड़ जलाशय योजना के डुब क्षेत्र भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./19/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	नवापारा प.ह.नं. 35	5.250	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	डोमनी व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्रमांक/310/अ.वि.अ./भू-अर्जन/18 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बागबाहरा	दरबेकेरा प.ह.नं. 31	2.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	ग्राम दरबेकेरा में एनीकट / डायवर्सन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ. ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्रमांक/312/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बागबाहरा	कुलिया प.ह.नं. 34	0.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा एनीकट के अंतर्गत व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ. ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 34/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पचरा प.ह.नं. 18	0.328	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रैनकोटा जलाशय में मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 35/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पण्डरा-पथरा प.ह.नं. 16	0.073	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बानाबेल जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 37/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	दारसागर प.ह.नं. 16	0.455	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रतखण्डी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 38/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उमरीया-दादर प.ह.नं. 5	0.148	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रैनकोटा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्रमांक/4128/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.531 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	119/1	0.170
	119/3	0.117
	166/17	0.012
	166/22	0.032
	166/27, 166/28	0.113
	166/29	0.170
	166/43	0.073
	175/1	0.194
	177	0.053
	183/11	0.008
	186/2	0.142
	187/1, 187/2	0.036
	187/3, 187/6	0.045
	187/4, 187/5	0.040
	191	0.012
	196/1, 197/1	0.113
	196/2	0.016
	197/2	0.008
	197/4	0.008
	1137/2	0.004
	1137/3	0.004
	1138/2	0.016
	1139	0.012
	1140/1, 1140/2	0.012
	1141/2, 1141/3	0.097
	1142/1	0.004
	1147/3	0.020
योग	27	1.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरहर-कुम्हारीकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./536/वा./भू.अ./प्र.क्र./05/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रीवां, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.147 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
529/5	0.008
529/4	0.016
529/7	0.008
526/1	0.057
506/1	0.044
527/1	0.005
527/6	0.004
527/2	0.005
8	0.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./537/वा./भू.अ./प्र.क्र./08/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/1	0.030
	3/2	0.020
	22	0.030
योग	3	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./538/वा./भू.अ./प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
214	0.050
218	0.060
223	0.010
226	0.010

	(1)	(2)
	406	0.020
	487	0.120
योग	6	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./542/वा./भू.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नारा, प.ह.नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7396 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (व.मी. में)
	(1)	(2)
	1664	34
	1666	100
	1668	150
	1669	104
	1682	108
	1684	368
	1683	120
	1686	210
	1803	42
	1804/1	120
	1804/2	100
	1804/3	100
	1805	384
	1824	16
	1825	16
	1826	224
	1831/1	264
	1832	96
	1994	160
	1995/1	184
	1970	120
	1990/2	32
	1991	336
	1996	352
	1998	272
	1999	128
	2000/2	-
	2143/2	-
	2001	160
	2002	78
	2005	90
	2006	66
	2008	48
	2009	36
	2010	88
	2015	160
	2011	160
	2016/1	240
	2017	48
	2018	228
	2021	344
	2022	228
	2023/1	56
	2023/2	56
	2024	138
	2145	440
	2147	592
योग	47	7396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगांव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक/1449/फर.वि.यो./नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि फरसगांव निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय नगर पंचायत भवन फरसगांव के प्रथम तल (प्रदर्शनी स्थल) फरसगांव, कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 29 में दिनांक 03 अक्टूबर 2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. फरसगांव निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

फरसगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मांझीआठगांव, चिचाड़ी एवं बानगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बानगांव, कोटबेल एवं बरकई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बरकई, पान्डेआठगांव, गट्टीपलना एवं कोर्राबडगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोर्राबडगांव, पतोडा एवं मांझीआठगांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन फरसगांव (प्रथम तल)

No./1449/ PH.M.P./T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use map for Farasgaon Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 03-10-2015 during office hours in the Office of the Nagar Panchayat first Floor (Exhibition Venue) Farasgaon, Office of the Collector, District Kondagaon & Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur, The limit of the Farasgaon Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Farasgaon Planning Area

NORTH	:	Village Manjhiaathgaon, Chichadi & upto the Northern limit of village Bangaon.
EAST	:	Village Bangaon, Kotbel & upto the Eastern limit of village Barkai.
SOUTH	:	Village Barkai, Pandeyathgaon, Gattipalna & upto the Southern limit of village Korrabadgaon.
WEST	:	Village Karrabadgaon, Patoda & upto the Western limit of village Manjhiaathgaon.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

Place of Inspection : Nagar Panchayat Bhavan First Floor, Farasgaon.

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक/808/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अकलतरा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, कार्यालय नगर पालिका परिषद्, सभाकक्ष अकलतरा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 15-09-2015 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

अकलतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम परसाही, खटोला, बरगंवा एवं खोंड़ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खोंड़, खिसोरा, लिलवाडीह, अमरताल एवं किरारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम किरारी, तरौद, रोगदा एवं मुरलीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मुरलीडीह, पकरिया, लटिया एवं परसाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No./808/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Akaltara Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is avilable for inspection from 15-09-2015 during office hour's in the office of the Collector Distt. Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Nagar Palika Parishad, Assembly hall Akaltara, Distt Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Akaltara Planning Area Akaltara Planning area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

The Limits of Akaltara Planning Area

NORTH : Village Parsahi, Khatola, Bargnwa and Khod upto the North limit.
EAST : Village Khod, Khisora, Lilwadih, Amartal and Kirari upto the East limit.
SOUTH : Village Kirari, Taraud, Rogada and Murlidih upto the South limit.
WEST : Village Murlidih, Pakariya, Latiya and Parsahi upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Where Any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considered by the Commissioner Cum-Director Town And Country Planning C.G., Naya Raipur.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/815/न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अड़भार निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, कार्यालय नगर पंचायत अड़भार एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 16-09-2015 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

अड़भार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम ढ़िमानी, बड़भार एवं हरदी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हरदी, बंजारी, संजारी एवं चरौदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चरौदा एवं बंदौरा एवं बुंदेली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बंदौरा, बुंदेली एवं ढ़िमानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No./815/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Adabhar Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is avilable for inspection from 16-09-2015 during office hour's in the office of the Collector Distt. Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Nagar Panchayat, Adabhar, Distt. Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Adabhar Planning detailed in schedule given below :

SCHEDULE

The Limits of Adabhar Planning Area

NORTH	:	Village Dhimani, Barbhar and Hardi upto the North limit.
EAST	:	Village Hardi, Banjari, Sanjari and Charauda upto the East limit.
SOUTH	:	Village Charauda, Bandaura, Bundeli upto the South limit.
WEST	:	Village Bandaura, Bundeli, Dhimani upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Where Any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considered by the Commissioner Cum-Director Town And Country Planning C.G., Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th September 2015

No. 668/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the tabele below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Neha Yati D/o Shri Umesh Kumar Yati	X Civil Judge Class-II, Durg
2.	Shri Dilli Singh Baghel S/o Shri Ramkrishna Baghel	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Ku. Priyanka Bundela D/o Shri Bahadur Singh Bundela	XI Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Bhaskar Mishra S/o Shri Ram Naresh Mishra	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
5.	Shri Praveen Mishra S/o Shri Bhagwan Das Mishra	XII Civil Judge Class-II, Durg
6.	Smt. Nidhi Sharma W/o Shri Brajraj Sharma	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
7.	Ku. Deepti Singh Gaur D/o Late Shri Rajkumar Singh Gaur	VII Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Shri Pallve Raghuvanshi S/o Shri Ratan Singh Raghuvanshi	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
9.	Shri Bhupesh Kumar Basant S/o Late Shri N. D. Basant	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
10.	Ku. Chetna Thakur D/o Shri Bhayya Lala Thakur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
11.	Ku. Seema Kanwar D/o Shri Bhupendra Singh Kanwar	III Civil Judge Class-II, Raigarh
12.	Shri Aslam Khan S/o Shri Ali Hasan Khan	IX Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Shiv Prakash Tripathi S/o Shri Devi Sahay Tripathi	X Civil Judge Class-II, Raipur
14.	Shri Girish Pal Singh S/o Shri Ramphal Ram	II Civil Judge Class-II, Raigarh
15.	Ku. Barkha Rani Kasar D/o Shri Yashvant Kasar	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
16.	Ku. Suman Dhruv D/o Shri Radheshyam Dhruv	II Civil Judge Class-II, Bemetara
17.	Ku. Amrita D/o Shri Bhema Ram Kunjam	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
18.	Ku. Mrinalini Katulkar D/o Shri Mahadeo Katulkar	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
19.	Shri Devashish Thakur S/o Shri Dashrath Singh Thakur	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
20.	Ku. Bhawana Nayak D/o Shri Radheshyam Nayak	XVI Civil Judge Class-II, Raipur
21.	Ku. Sweta Baghel D/o Shri Awadh Bihari	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
22.	Shri Vivek Netam S/o Late Shri Firtu Ram Netam	XV Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
23.	Shri Puneet Ram Gurupanch S/o Shri Keju Ram Gurupanch	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
24.	Shri Anil Kumar Chauhan S/o Shri Girwar Lal Chauhan	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
25.	Ku. Shanti Prabhu D/o Late Shri Pilu Ram Prabhu	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
26.	Smt. Deepti Lakra W/o Shri Sanjiv Kujur	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Korba.

Bilaspur, the 17th September 2015

No. 670/Confdl./2015/II-1-1/2013.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2015-US.II dated 11th September, 2015 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Goutam Bhaduri, Hon'ble Shri Justice Sanjay Kumar Agrawal and Hon'ble Shri Justice Puthichira Sam Koshy have assumed charge of the office of the Additional Judges of High Court of Chhattisgarh on 16th September, 2015 in the forenoon.

Bilaspur, the 18th September 2015

No. 673/Confdl./2015/II-2-4/2002.—The following Officiating District Judge of Higher Judicial Service as specified in column No. (2) of the table below, is, hereby confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Doctorlal Katakwar	17-06-2013

Bilaspur, the 18th September 2015

No. 675/Confdl./2015/II-2-72/2001 (Pt. II).—In the gradation list of the cadre of District Judges (Entry Level) as on 30th July, 2010, the name of Shri Doctorlal Katakwar, the then I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund presently Judge, Family Court, Manendragarh, Koriya (Baikunthpur) is, hereby, placed below the name of Shri Sudhir Kumar (S. No. 86) and above the name of Shri Ramashankar (S. No. 87).

Bilaspur, the 18th September 2015

No. 677/Confdl./2015/II-2-3/2002 (Pt. III).—The following District Judge (Entry Level) as specified in Column No. (2) of the table below is hereby appointed to the category of District Judge (Selection Grade) of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850 (Revised Rs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290) from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Selection Grade) (3)
1.	Shri Doctorlal Katakwar, Judge, Family Court, Manendragarh, Koriya (Baikunthpur).	17-06-2015

Bilaspur, the 18th September 2015

No. 679/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Part. II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service as specified in column No. (2) of the table below, who were confirmed vide Registry Order No. 94/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Pt.-II) dated 31-01-2015 from the date as specified in column No. (3), are hereby, confirmed from the revised date as specified in column No. (4) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Previous Date of Confirmation (3)	Revised Date of Confirmation (4)
1.	Ku. Chitralekha Sonwani	01-12-2014	17-06-2013
2.	Smt. Sushma Lakra	01-01-2015	01-06-2014

Bilaspur, the 18th September 2015

No. 680/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Part. II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002 dated 01-09-2012, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Anil Prabhat Minj	01-08-2014
2.	Shri Deepak Kamar Koshley	01-10-2014
3.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar	01-12-2014
4.	Shri Damarudhar Chouhan	01-01-2015
5.	Shri Mohan Singh Korram	01-03-2015
6.	Shri Ajay Kumar Xaxa	01-03-2015
7.	Shri Digvijay Singh	01-03-2015
8.	Smt. Rashmi Netam	01-03-2015
9.	Ku. Yashoda Kashyap	01-03-2015
10.	Shri Roopnarayan Pathare	01-03-2015
11.	Shri Krishnakant Bhardwaj	01-03-2015
12.	Shri Pankaj Alok Tirkey	01-03-2015

Bilaspur, the 21st September 2015

No. 7593/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Mohit Singh, Judicial Magistrate First Class, Kanker, District Uttar Bastar Kanker to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 26th September 2015

No. 668/CSJA/Final Part/ADJ 2015 Batch/2015.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2015 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 27th October, 2015 at 9.00 A.M. for undergoing the Institutional Training-Foundation Course (Final Stage) scheduled to be held from 27th October, 2015 to 07th November, 2015.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Prashant Parashar	II Additional District & Sessions Judge, Korba
2.	Shri Arvind Kumar	II Additional District & Sessions Judge, Raipur
3.	Shri Davender Kumar	III Additional District & Sessions Judge, Raipur
4.	Smt. Shobhna Koshta	III Additional District & Sessions Judge, Durg
5.	Shri Deepak Kumar Deshlhre	V Additional District & Sessions Judge, Ambikapur
6.	Shri Vijay Kumar Minj	II Additional District & Sessions Judge, Balod

The above mentioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring one Civil/Criminal/Claim Case/ Bail order copies of judgments rendered by them during the actual judicial work and also to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. Rules & Orders (Civil & Criminal)

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

क्रमांक 7905/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 3905 तीन-6-7/2000 दिनांक 15-05-2015 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 1st October 2015

No. 7905/III-6-7/2000.—In exercise of the powers Conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 3905/III-6-7/2000, dated 15-05-2015 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (Specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 30th September 2015

No. 725/L.G./2015/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, Judge, Family Court, Manendragarh, District Koriya is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-09-2015 to 18-09-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 291 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th September 2015

No. 726/L.G./2015/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 08 days from 24-08-2015 to 31-08-2015 along with permission to leave headquarters from 24-08-2015 to 31-08-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 154 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th September 2015

No. 727/L.G./2015/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 24-08-2015 to 28-08-2015 along with permission to remain out of headquarters from 23-08-2015 to 30-08-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th September 2015

No. 728/L.G./2015/II-2-7/2003.—Shri Arvind Singh Chandel, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 24-08-2015 to 28-08-2015 along with permission to leave headquarters from 23-08-2015 to 30-08-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 196 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).